



# कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0बजट-31 / 2015-840

दिनांक : 05.07.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं  
राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" (पुरानी-वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना का तृतीय वर्ष के लिए कुल रु0 1.237 लाख (एक लाख तीन हजार सात सौ रुपये) मात्र अतिरिक्त राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 01 / यो0बजट-31 / 2015- 665 दिनांक 16.05.2017

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाने (24 हेक्टेएर में) का तृतीय वर्ष के लिए रु0 1.439 लाख (एक लाख तीन हजार नौ सौ रुपये) का उप आवंटन किया गया था। कार्य दर तालिका में 12 हेक्टेएर के लिए निर्धारित राशि के अनुरूप ही उप आवंटन किया गया था, जबकि यह कार्य 24 हेक्टेएर में किया जा रहा है। इसलिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अधीन कुल पुनः रु0 1.237 लाख (एक लाख तीन हजार सात सौ रुपये) का अतिरिक्त उप आवंटन की जा रही है जिसमें मजदूरी मद के लिए 1.232 लाख तथा आपूर्ति एवं सामग्री मद के लिए 0.005 लाख रुपये होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटित राशि के अधीन ही कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे।

ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में द्रष्टव्य है।

2. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है। पूर्व उप आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—31 / 2015—840 दिनांक— 05.07.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—31 / 2015—840 दिनांक— 05.07.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

## आवंटन आदेश

## झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-31/2015/840

दिनांक -

05-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	47254	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	123,200.00 रुपये एक लाख तेहस हजार दो सौ
2	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	47257	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	500.00 रुपये पाँच सौ
योग:				123,700.00
क्रमिक योग:	रुपये एक लाख तेहस हजार सात सौ			